22
253/18/225

रामेश्वर बनाम घासीलाल

तारीख पेश्गी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2018/10253 श्री विरेन्द्र सिंह … श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
31.12.18	**रामेश्वर बनाम घासीलाल वगेरह** पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. एवं 5 मियाद अधिनियम व अपील में अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अपील व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा दिनांक 30.03.2010 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 806 कुल रकबा 0.04 है. वाकै ग्राम सेवा तहसील मौजमाबाद में कोई निर्माण नहीं करने के आदेश दिय तथा उक्त खसरा बाबत् नायब तहसीलदार, मौजमाबाद से मौका तलब किये जाने एवं अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी करने के आदेश दिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट 01, 02 को एक पक्षीय स्थगन आदेश दिये हुए करीब 08 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और अभी तक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधि.(अस्थायी निषेधाज्ञा) का निस्तारण नही किया गया हैं जबकि सी.पी.सी. के आदेश 39 नियम 3 (अ) में यह कानूनी प्रावधान दिया गया है कि जहॉ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय स्थगन आदेश जाता है तो न्यायालय का कर्तव्य है कि उक्त प्रार्थना पत्र को एक माह में निस्तारण करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्ते नोटिस तलबी हेतु नियत हैं एवं प्रकरण का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना इसलिए पक्षकारान के समय व आर्थिक व्ययता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अपील का इसी स्तर निस्तारण कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को दो माह में प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने हेतु प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है। **सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को अभिभाषक अपीलांट के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।** **तत्पश्चात अतः अपीलांट अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधि. (अस्थायी निषेधाज्ञा) पर उभयपक्षकारा को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विवेचन कर, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर इस न्यायालय के आदेश से 60 दिवस माह में निस्तारण करें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	